व्यसनमुक्त भारत अभियान !

DRUG FREE INDIA MOVEMENT

आओ, चलो, सब साथ साथ ।
मोदीजी का मीलेगा साथ ।।
सफल बनाओ प्यारे ।
व्यसनमुक्त भारत अभियान ।।

कृपया भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी को चिठ्ठी लिख भेजे। इस अंक में श्री मोदीजी के नाम चिठ्ठी छपी है कृपया उसपर हस्ताक्षर करने के बाद, उन्हे भेजनेका कष्ट करे ।

श्री नरेंद्र मोदी,
प्रधानमंत्री (द्वारा) भारतीय आकाशवाणी,
''मन की बात'' संसद मार्ग, नई दिल्ली.

भारत माँ की सुनो पुकार - व्यसनमुक्ती का करो स्विकार.....!

व्यसनमुक्त भारत अभियान

DRUG FREE INDIA MOVEMENT

प्रति,

दि. / /२०१

मा. श्री नरेंन्द्र मोदी जी,
प्रधान मंत्री, द्वारा भारतीय आकशवाणी
संसद मार्ग, नई दिल्ली।

विषय : व्यसनमुक्त भारत अभियान प्रारंभ करने बावत् ।

संदर्भ : मन की बात ।

महोदय,

सद्भाव नशामुक्ति केंन्द्र, जबलपूर, जलगांव पिछले २५-३० वर्षो से व्यसनमुक्त भारत अभियान चला रहा है। लेकिन संसाधनों के अभाव में यह कार्य पूरे देश में विस्तारीत नही हो पाया आपसे विनम्र निवेदन है कि भारत के युवा वर्ग को नशे से बचाने हेतु तथा सशक्त व समृध्द भारत निर्माण हेतु इस अभियान को समग्र रूप से प्रारंभ करने का कष्ट करें। इस अभियान में सभी भारतीय एकजुट होकर आपके साथ खडे होंगे। इस अभियान में हमारे द्वारा सुझाव इस प्रकार हैं:-

१) तम्बाखू व शराब का उत्पादन विक्री प्रति वर्ष १० प्रतिशत से कम करके आगामी १० वर्षो में तम्बाखू का शराब का उत्पादन व विक्री पूर्ण रूप से समाप्त करने हेतु कानून व कार्यक्रम बनाये जाये। यह कानून व कार्यक्रम पूरे भारत वर्ष में समान रूप से लागू किया जाये।

२) अवैध नशीली चीजों का उत्पादन, बाहरी देशों से नशीली चीजों की होनेवाली स्मगलींग व विक्रय समाप्त करने हेतू सम्पूर्ण देश के लिए कडे कानून को लागू करने हेतु नया दल बनाया जाये।

३) सभी स्कूल तथा कालेजों में स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत नशीली चीजों के दुष्परिणाम संबंधी शिक्षा कार्यक्रम अनिवार्य रूपेण चलाये जायें।

४) सभी सडकों पर विशेषतः हाईवे पर रात के वाहन चालकों का मेंडिकल परीक्षण कराया जाये, ताकि नशीली चीजों का सेवन कर कोई वाहन न चलाये। नशे का सेवन कर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कडे कानून बनाकर कार्यवाही की जाये।

५) नशामुक्ति केन्द्र चलाने हेतु सरकारी जमीन, भवन दिया जाये तथा सरकारद्वारा औषधियों का प्रबंध किया जाये।

६) नशे का उत्पादन, व्यापार करने वाले जन प्रतिनिधी व शासकीय कर्मचारियों को बरखास्त किया जाये।

७) सभी माध्यमों के द्वारा पूरे देश में नशा विरोधी अभियान चलाया जाये । हम आशा करते है कि इस समस्या की गंभीरता को ध्यान में लेते हुये आप व्यसनमुक्त भारत का अभियान भी तत्काल प्रारंभ करोगे।

विनीत

हस्ताक्षर – _____

नाम – _____

पता – _____

_____

भारत माँ की सुनो पुकार - व्यसनमुक्ती का करो स्विकार....!

व्यसनमुक्त भारत अभियान

DRUG FREE INDIA MOVEMENT

जब नशेसे हो ग्रसित राष्ट्र हमारा ।
चैन की नींद सोना क्या उचित है?
आँसु बहा रही है, माँ–बहने हमारी ।
भोग के मोह मे डूब जाना क्या उचित है?

भाईयो, और बहनो,

आज मादक या नशीले पदाथाँका सेवन करना एक महामारी की तरह फैलती हुअी बिमारी हो चुकी है। नशीली चीजोंका उत्पादन, व्यापार और सेवन तीनो ही दिन दुगूना रात चौगूना बढ रहा है, यह हम सभी के लिए चिंता का विषय है ।

अब समय आ गया है कि हम सब एकजुट व संगठीत होकर व्यसनमुक्त भारत निर्माण हेतु कार्यरत बने । म. गांधजीका स्मरण करते हुए इस पवित्र राष्ट्रहीत व मानवकल्याण के कार्य को व्यक्तिगत, पारिवारीक व सामाजिक स्तरपर आत्मसात करें ।

भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी ने महात्मा गांधी का 'स्वच्छ भारत' का सपना पूर्ण करने हेतु स्वच्छ भारत अभियान का प्रारंभ किया है । आओ हम सब मिलकर 'व्यसनमुक्त भारत अभियान' का प्रारंभ करे ।

सरकार को भी व्यसनुक्त भारत निर्माण हेतु कई महत्वपुर्ण कदम उठाने की आवश्यकता है । इसलिए आप भी श्री मोदीजी को पत्र लिखे । पत्र का नमुना संलग्न है ।

व्यसनमुक्त भारत – समृध्द भारत !
व्यसनमुक्त भारत – सुसंस्कृत भारत !!

आपका ;
डॉ. ए. के. शुक्ल

भारत माँ की सुनो पुकार – व्यसनमुक्ती का करो स्विकार....!

यद्यपि हमारा संविधान कहता है राज्य चिकित्सा उद्देश्यों को छोडकर नशीले पेय और मादक द्रव्य जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है के उपभोक पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करेगा। अनेक राज्यो मे शराब वैध मादक द्रव्य है । हमारे संघीय ढाँचे में केद्र सरकार प्रतिबंध लगाने के बारे में अधिक नहीं कहती। यह मजाक है कि भारत में राज्य सरकारें शराब वितरण का कार्य करती है। अनेक राज्यों में सरकार के शराब निर्माण के अपने उद्योग, गोदाम, थोक ब्रिकी, डेपो तथा यहाँ तक खुदरा ब्रिकी केंद्र भी है। क्या आप नहीं सोचते की यह एक विरोधाभास है कि जिस देश में गांधीजी ने राष्ट्रपिता के रूप में इस व्यसन के विरूध्द संघर्ष किया हो वहाँ सरकार संविधान में किए गए वर्णन के बावजूद शराब व्यापार में शामिल है। यद्यपि खुदरा विक्री के बारे में कुछ नियंत्रण है जैसे – विक्री समय स्थान जहाँ शराब की दुकान नही होनी चाहिए, तथा विज्ञापन आदि। लेकिन इनका पालन करने के स्थान पर अल्लंघन अधिक होता है। वितरण प्रणाली द्वारा कानून का पालन न करने पर भी प्रायः राज्य सरकारे मौन असहाय दर्शक बनी रहती है ।

❊ क्या आप जानते है?

१) केवल तंबाकू, गुटखा, बिडी – सिगरेट के सेवन से भारत में प्रतिवर्ष १५ लाख लोगों की अकाल मृत्यू होती है।

२) नशे के कारण प्रतिवर्ष भारत में ४० लाख लोगों की अकाल मृत्यू होती है।

३) नशाखोरी के कारण अपराध व दुर्घटनाओं मे निरंतर बढोतरी हो रही है।

४) नशाखोरी के कारण गुप्त रोग व एच.आय.व्ही. एडस् का खतरा बढ रहा है।

५) आज समाज में जितनी भी बीमारियाँ हमें मालुम है उनमें से आधी बीमारियाँ केवल नशे के कारण उत्पन्न होती है।

६) गरीबी दूर न होने का एक प्रमुख कारण नशाखोरी है।

७) नशा करना धीरे – धीरे नही छूटता। उसे एकदम, हमेशा के लिए छोडना चाहिए।

८) बुराई कभी छोटी या बडी नहीं होती। बुराई हमेशा बुराई होती है। वैसे ही नशाखोरी हमेशा बुरी व घातक है।

९) नशाखोरी बंद होने से भारत की आय में ३० लाख करोड रूपयों की बढोतरी होती।

१०) भारत में संपूर्ण नशामुक्ति होने से विकास की गति २०% (बीस प्रतिशत) से बढेगी।

११) नशाखोरी व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक व मानवता की गंभीर समस्या है।

१२) नशीली चीजों का व्यापार, उत्पादन व विज्ञापन धर्म ईश्वर व मानवता के प्रति अक्षम्य अपराध है।

१३) नशे का कारोबार मौत का कारोबार है।

१४) नशाखोरी गरीब, दलित, शोषित व पीडित लोगों की खिलाफ भयंकर षडयंत्र है।

१५) नशाखोरी एक स्थायी, प्राथमिक, निरंतर बढने वाली प्राणघातक बीमारी है। लेकिन इसका इलाज होता है व इसे हम नियंत्रण में रखकर खुशहाल जिन्दगी जी सकते हैं।

भारत माँ की सुनो पुकार – व्यसनमुक्ती का करो स्विकार....!

१६) नशा पीडित व्यक्ति अपनी समस्या, अपने दोष कबूल नहीं करता। वह वास्तविकता को स्वीकार नहीं करता तथा इलाज करने से बचना चाहता है। इसे डिनायल (अस्वीकृती) कहा जाता है।

१७) नशे के कारण आतंकवाद (नार्को टेररिझम) की समस्या उत्पन्न हुई है।

❊ व्यसन के आर्थिक परिणाम :–

नशाखोरी के विश्व के राष्ट्रों और लोगो पर अत्यधिक आर्थिक भार पडता है। नशाखोरी के आर्थिक दुष्परिणाम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के हो सकते है। व्यक्ति और संपूर्ण समाज भी इन आर्थिक दुष्परिणामों का शिकार होता है ।

❊ व्यक्तिगत पर प्रत्यक्ष दुष्परिणाम :–

नशीले पदार्थ महंगे होते है। नशे की लत को बनाए रखने की प्रतिदिन की लागत व्यक्ति द्वारा उपभोग किए जानेवाले द्रव्य के प्रकार पर निर्भर करती है। इसलिए यह संभव नहीं है कि व्यय किए गए धन का सही आकलन किया जाए। कुछ व्यसनकर्ताओं के अपने स्त्रोत होते हैं। दूसरे लोग अपने परिवार अथवा संबंधों पर निर्भर करते हैं। सभी मामलों में, व्यक्ति अपनी सभी आवश्यकताओं को छोडकर सारा धन अपनी लत को बरकरार रखने में व्यय कर देता है। देखा गया है कि बेरोजगार लोक नशे का अधिक प्रयोग करते हैं। नशे के प्रयोग से उत्पादकता में कमी, अनुपस्थिति, रोग एंव दुर्घटनाएं होती हैं। इन सबसे आर्थिक स्थिति कमजोर होती है। नशे की लत से एक व्यक्ति समाज का एक उत्पादक सद्स्य कम हो जाता है। इसके बदले वह केवल उपभोग करनेवाला ही बनकर रह जाता है।

❊ नशाखोरी के अप्रत्यक्ष दुष्परिणाम :–

नशाखोरी के प्रत्यक्ष दुष्परिणामों से अधिक परिणाम होते हैं। व्यसनकर्ता के इलाज और उसकी देखभाल पर व्यय का आत्याधिक भार सीधे परिवार पर पडता है। अधिकतर व्यसनकर्ता चिरकालिक रोगों से पीडित हो जाते हैं जिन्हें लगातार इलाज की आवश्यकता पडती है। स्वयं व्यसन का इलाज भी जीवन भर तक सकता हैं।

नशे के कारण अनेक दुर्घटनाएँ होती हैं। इसे भी आप स्वास्थ्य देखभाल व्यय के रूप में भी देख सकते हैं। परिवार की लापरवाही और कुप्रबंध के कारण व्यसनकर्ता के माता – पिता एवं जीवन साथी भी बीमार हो जाते हैं। उनका इलाज भी परिवार पर अत्याधिक आर्थिक भार डालता हैं।

नशाखोरी और अपराध दोनों का निकट संबंध हैं। जब हम समस्या के इस पक्ष को समझ लेते हैं तो नशाखोरी के दुरूप्योग के कारण आर्थिक स्थिती डांवाडोल हो जाती है। यदि हम उसे आर्थिक समस्या मान लें तो इसकी लागत की गणना असंभव हैं।

❊ व्यसन और धर्मिक विश्वास :–

प्राचीन काल से किसी प्रकार के धार्मिक विश्वास मानवता के अभिन्न अंग रहे हैं। यह देखा गया हैं कि धार्मिक विश्वास का व्यसन एवं इलाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हैं। व्यसनकर्ता अपनी वास्तविकता पर नियंत्रण करना चाहता है जो कि, वह करने में असमर्थ होता हैं। रसायनों से उसे ऐसा प्रतीत होने लगता हैं कि वह अप्रिय वास्तविकता

को नियंत्रण कर सकता हैं। धार्मिक विश्वास उसे आभास कराता है कि कोई एक शक्ति हैं जो प्रत्येक वस्तु को निर्देशित करती है इसलिए उस शक्ति के समक्ष समर्पण कर देने उसे व्यक्ति को शांति और खुशियाँ प्राप्त होती हैं। व्यसन और धार्मिक विश्वास एक दूसरे के अनुरूप हैं।

व्यसनकर्ता की एक विशेषता हैं अपना अलग दृष्टिकोण रखना। कुछ इलाज कार्यक्रमों में इसे 'ईश्वर का खेल' माना जाता है। परंतु व्यसनकर्ता दूसरे ढंग से सोचता है। उसकी अपनी विशिष्ट इच्छा होती है। जब व्यसनकर्ता बडा हो जाता हैं तो वह समझने लगता हैं ; कि यद्यपि वह प्रौढ है किंतु उसे अन्य लोगों के विचारों और सोच के साथ जुडना चाहिए। जो व्यक्ति ईश्वर में अत्याधिक आस्था रखते हैं वे इस मजबूरी को असानी से स्वीकार कर लेते हैं। कुछ लोग इसे ईश्वर के विधि – विधान के रूप में या अपने 'कर्तो' का फल मान कर स्वीकार कर लेते हैं। व्यसनकर्ता इस तरह के किसी भी विश्वास का विरोध होता हैं जब वास्तविकता का दबाव बहुत ही सशक्त होता है तो उसके नशाखोरी की सहायता से परिवर्तन करने के अतिरिक्त अन्य स्त्रोत नहीं होता हैं। इससे उसे अस्थाई रूप से नियंत्रण की भावना का अनुभव होता हैं।

❊ नशे का परिवार और राष्ट्रीय विकास पर प्रभाव

आपने नशे में धुत चालक द्वारा की गई यातायात दुर्घटनाओं को अवश्य देखा होता। कुछ महामारियों की तरह से व्यापक मौतें होती हैं। व्यसनकर्ता स्वयं के लिए, परिवार और समाज के लिए खतरा हैं। व्यसन अपने कलंक के धब्बे आगे आनेवाली पिढियों के लिए भी छोडता हैं।

व्यसनी के बच्चों का सामान्य विकास नहीं हो पाता है क्योंकि उनके परिवार में उन्हें भावनात्मक वातावरण नहीं मिल पाता हैं जो बच्चों के सामान्य विकास के लिए आवश्यक होता हैं। शराबी पिता के होनेवाले अनेक बच्चे भी बडे होने पर शराबी बन जाते हैं। व्यसन राष्ट्र विकास के लिए गंभीर चुनौती हैं। व्यसनी प्रायः समाज में अनुत्पादक तत्व होता हैं व्यसनी सामाजिक स्वास्थ्य देखभाल पर अतिरिक्त भार हैं। व्यसन के कारण बहुत सारी दुर्घटनाएँ भी होती हैं।

❊ नशाखोरी – परिवार और राष्ट्र :–

विश्व में पत्येक वस्तु आंतरिक रूप से परस्पर जुडी हुई है। एक राष्ट्र में परिवार समाज की मूल इकाई हैं। राष्ट्र की हालत परिवार के स्वास्थ्य से मापी जाती हैं। व्यसन प्रायः परिवारों को प्रभावित करता हैं। व्यसन के कारण बच्चों का चरित्र बिगड जाता हैं। जब परिवार का एक व्यक्ति चाहे अभिभावक, बच्चा हो या रिश्तेदार हो नशे का दुरूपयोग करने लगता हैं तो विकृत होने लगता तथा शांति भंग हो जाती हैं। वहीं पर परिवार के प्रत्येक सदस्य को इसकी हानि उठानी पडती है। व्यसनी प्रायः अपनी आदतों से इतना पीडित हो जाता है कि सब कुछ उस पर केंद्रित हो जाता है यहाँ तक कि परिवार के अन्य सदस्यों की आवश्यकताओं और उनकी स्थिति की भी उपेक्षा की जाती हैं, इस कारण परिवार की एकता संधि की तरह टूट जाती हैं।

राष्ट्र को आर्थिक और मानवता के रूप में नशाखोरी के लिए भारी किमत चुकानी पडती हैं। अधिकतर नशे का प्रयोग करनेवाले लोग १८ से २५ वर्ष की आयु वर्ग के होते हैं। इनमें से कुछ रोजगार शुदा होते हैं तो कुछ बेरोजगार। रोजगार शुदा व्यक्ति अपने कार्य स्थल पर गंभीर समस्याएँ खडी कर देता हैं। कार्य से अनुपस्थिति, काम धीमे करना, कार्य स्थल पर दुर्घटनाएँ और साथी कर्मियों के साथ खराब खंबंध आदि नशाखोरी के परिणाम होते हैं।

भारत माँ की सुनो पुकार – व्यसनमुक्ती का करो स्विकार....!

अधिकतर किशोर अवस्था व्यसनी के बेरोजगार होते हैं। वे राष्ट्र के उत्पादक सदस्य नहीं बनते। वे राष्ट्र के संसाधनों पर बोझ बन जाते हैं। वे अपराध समूहों का रूप धारण कर लेते हैं। उनके स्वास्थ्य की देखभाल करना भी राष्ट्र पर अतिरिक्त भार होता हैं। वे अनजाने में ही महामारियों जैसे रोगों तथा लाइलाज रोगों के वाहक या एजेंट बन जाते हैं।

नशाखोरी की एक ओर भी किमत चुकानी पडती हैं – पर्यावरण की कीमत। वन कटाई, भूमि कटाव, जल स्त्रोतों का प्रदूषण, व्यापक वनस्पति नाशक छिडकाव, पर्यावरणीय व्यवस्था में असंतुलन, जलीय योजना में परिवर्तन, जनसंख्या का दबाव, लोगों का अप्रवर्जन आदि नशा उत्पादन के कुछ अप्रत्यक्ष परिणाम हैं। गैर कानूनी नशे की फसल पैदा करने वाले माहौल का विस्तार हो जाता हैं। लेकिन अमरीका, अफ्रीका तथा एशिया में लाखों छोटे किसानों पर इसकी खेती करने के लिए अत्याचार किए जाते हैं। जिससे विश्व की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती हैं। इसमें इनकी अस्थिर हालत की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। जीवन को बचाने के लिए इन लोगों को अब कोकेन, अफीम, पोस्त या भांग की फसल में कमी करनी चाहिए। नशीले पदार्थों के उत्पादन के लिए राष्ट्र या विश्व द्वारा चुकाई जानेवाली किमत बशेक अप्रत्यक्ष हो लेकिन यह बहुत विशाल है। अनेक नशे जैसेकि पोस्त, कोका, अफीम तथा तम्बाकू का उत्पादन पौधों आर्थत् फसल से होता हैं। चूँकि ये फसलें प्रायः गैर कानूनी होती हैं इसलिए इनका कार्य कनेवाले लोग फसल उगाने के लिए जंगलों में चले जाते हैं और बेरहमी से जंगलों की कटाई करते हैं।

नशाखोरी और परिवारः–

परिवार का नशाखोरी के जो भयंकर प्रभाव पडते हैं मुख्यतः वे वही है जो राष्ट्र के लिए गंभीर खतरा बने हुए हैं। व्यसनी अपने आपराधिक व्यवहार से परिवार का वातावरण बिगाड देता है परिणाम स्वरूप परिवार के सदस्य शारीरिक और मानसिक रूप से व्यथित होते हैं। एक प्रियजन जो प्रायः कमाने वाला होता है, के इस तरह से व्यसनी होने के कारण परिवार के सदस्यों को बहुत दुःख होता है। यह स्थिती बहुत दर्दनाक होती है। इसका एक और गंभीर पक्ष यह भी है कि जब कोई बडी आयु का व्यक्ति नशे में लिपत हो जाता है उससे आयु का लोगोंपर अत्यंत भयंकर प्रभाव पडता है। वे समझते हैं कि जब इतनी बडी आयु का व्यक्ति ऐसा करता है तो हमें ऐसा करने में क्या नुकसान है और वे भी नशा करने लगते हैं। प्रायः इस पक्ष की उपेक्षा की जाती है।

अविभावक इस तथ्य का सामना नहीं कर पाते हैं कि उनके बच्चे नशे का प्रयोग करने लगे हैं अथवा वे उस विपरीत व्यवहार को स्वीकार नहीं करते जो उन्होंनें बच्चों का पालन करते समय नहीं किया हैं। अधिकांशतः शर्म और निराशा के कारण वे यह स्वीकार नहीं करते कि उनका बच्चा व्यसनी बन गया है। समस्या का सामना करने में असमर्थ लोग बच्चे को नशा न लेने के लिए उपयुक्त उपाय ढूंढने में उसको प्रोत्साहित नहीं कर पाते।

नशा करनेवाले छोटे बच्चों के माता – पिता प्रायः अपने परिवार के अंदर ही गहन भावनात्मक तनाव पीडित रहते देखे गए हैं। उन लोगों का यह बिछुडने चाहे वह मृत्यु, तलाक, त्यागने अथवा परिवार के कारण अपने माता – पिता के खोने का दुख होता है। वे लगाव और बिछुडने, हानि और लाभों के विपरीत मुद्दों में तनाव युक्त और चिंतित रहते हैं।

शराब के नशे को प्रायः पारिवारिक रोग की संज्ञा दी जाती है। इसका अर्थ है कि शराब के व्यसनी के परिवार के सभी सदस्य उसके रोग के भागीदार होते हैं। ऐसा कोई मार्ग नहीं है जिसके माध्यम से व्यसनी के आदतों के प्रभाव से परिवार के सदस्य बच सें। उन्हे प्रतिदिन व्यसनी के व्यवहार के रूप में प्रतिक्रिया के रूप में प्रतिक्रिया करते हैं। इसी

तरह की प्रतिक्रिया व्यसनी की ओर से परिवार के विरूध्द होती है।

अधिकतर व्यसनी विवाहित होते हैं और उसमें से बहुसंख्या में परिवार वाले लोग होते हैं। परंतु वे उस बिंदु तक अपनी सामाजिक, पारिवारिक रिश्तों की भुमिका निभाने में असमर्थ हो जाते हैं कि वे पति – पत्नी, माता – पिता और जीविका उपार्जन के क्षेत्र में संतोषजनक भूमिका नहीं निभा पाते। शराब के नशे के कारण वे उचित समय स्नेह या प्यार या बाहर आना – जाना भी समूचित रूप से पूरा नहीं करते। अनेक अवसरों पर उनका व्यवहार बदमिजाज, चिडचिडे, निराशा भरा और अनुचित हो जाता हैं। शराबी का परिवार तलाक अथवा अलग रहने के कारण टूट सकता हैं।

जब शराब की लत बढती जाती हैं शराबी के परिवार वाले कुछ क्रमिक समस्याओं के साथ सामंजस्य करने का प्रयास करते हैं। पहले उसे परिवार के टूटने की संभावनाएँ जैसे किसी महिला का पति शराब पीना आरंभ कर देता हैं उस स्थिती में महिला इस समस्या को नकारना आरंभ कर देती है और समस्या के साथ सामंजस्य करने का प्रयत्न करती है। समस्या को सुलझाने के लिए आरंभ में अपने पति से विवद करती है, शराब की उपलब्धता को नियंत्रित करने का प्रयास करती है तथा कुछ नियम बनाती है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि पत्नी अपनी कुछ एक बिंदू पर दोनों के द्वारा शराब छोडने की शर्त के साथ प्रति के साथ शराब का सेवन करने लगती है। परंतु यह तरीका सफल नहीं हो पाता है और समस्या अपना बिकट रुप धारण कर लेली है। पति – पत्नी के रिश्तों मे कडवाहट पैदा हो जाती है और संबंध विच्छेद के कगार पर पहुँच जाते हैं अथवा संबंध विच्छेद हो जाते हैं।

शराब की लत बढने के कारण परिवार संभालने के लिए पति की आय नहीं रहती और मजबूरी में पत्नी को यह भुमिका निभानी पडती है। कई बार पत्नी कुछ अनुशासनात्मक कदम उठाने लगती हैं। शरीर का परिवार भी उसी तरह शराब की बोतल के गिर्द घमने लगता हैं। उदाहरण के लिए पत्नी अपने पति से कई बार इस बात को स्वीकार नहीं करती कि उसका पति उसे पत्नी न समझ कर नौकरानी समझता है या पति की समस्या के लिए वह जिम्मेदार है।

दो शराबियों के परिवार एक जैसे नहीं होते और न ही नसकी प्रतिक्रिया एक जैसी होती है। शराब के प्रभाव गरीब और अमीर परिवारों पर अलग अलग होंगे। जो भी हो शराब के कारण विवाह और पारिवारिक जीवन पर अत्याधिक बुरा प्रभाव पडता हैं।

❊ नशाखोरी और घरेलू हिंसाः–

अनुसंधानों से विदित होता है कि, ''नशा करनेवालो परिवारों में घरेलू हिंसा आम बात है। विशेषकर बच्चें और महिलाएँ इसकी शिकार होती है। बच्चों को गाली देना, पत्नी को मारना – पीटना, दहेज हत्या, शारीरिक हिंसा तथा परित्याग घरेलू हिंसा की सामान्य आम बात हैं'' (यू.एन.डी.सी.पी. १९९९)। मादक द्रव्य दुरूपयोग और हिंसा दोनों एक साथ चलते हैं।

आक्रमण या हिंसा मूलरूप मे पशुवत स्वभाव होता है जिसमें मानव भी इस जंगल राज में भागीदार है। इस प्रकृति प्रदत्त संवेदना का उद्देश अपना संरक्षण करना होता है। यह उसका विवेक ही होता है कि वह अपनी हिंसक प्रवृत्ति को नियंत्रित रखना है। जैसे कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, कि सभी मानसिक क्रियाशीलता को प्रभावित करनेवाला मादक द्रव्य मस्तिष्क उस झिल्ली पर प्रभाव डालते हैं – जो हमारे विवेक पर नियंत्रण करती है। इससे मस्तिष्क की कार्य प्रणाली में विकार आ जाता हैं। इसलिए सभी दमित मनोभावनाएँ, संवदेनाएँ सतह पर आ जाती हैं।

इसलिए अनेक मामलों में शराबी अपनी मनोभावनाओं को व्यक्त करते समय हिंसक बन जाता हैं।

व्यसनी सामाजिक अस्वीकार्य आचरण के अनेक पक्ष प्रकट करता है हिंसा, आक्रमण, आडम्बरता गैर जिम्मेदारी, स्वार्थी जुआ खेलना जैसे दुर्गण रसायनों पर निर्भर रहनेवाले की जीवन शैली के हिस्से होते हैं। दक्षिणीय एशियाई देशों में नशाखोरी से संबंधित अपराधों की संख्या में अत्याधिक है। जो कुल उपराधों का नेपाल में ७० प्रतिशत और भारत में ४० प्रतिशत आँका गया है (यू.एन.डी.सी.पी.: १९९९)

१९९९ में यू एन डी.सी.पी. द्वारा दी गई बताती है कि श्रीलंका में हिंसा के अध्ययन में देखा गया है कि ६० प्रतिशत महिलाएँ घरेलू हिंसा का शिकार हैं, हिंसा, २९ प्रतिशत महिलाओं के साथ हुई, मारपीट के आँकडे दिए गए है कि ६० प्रतिशत महिलाएँ घरेलू हिंसा का शिकार हैं, हिंसा, २९ प्रतिशत महिलाओं के साथ हुई, मारपीट के आँकडे दिए गए हैं। जिसमें बताया गया हिंसाओं के पीछे शराब ही प्रमुख कारण है। महिलाओं की भाग्यवादी प्रवृत्ति यह होती है कि उन्हें अपने पुत्रों, पतियों और भाईयों के अत्याचारों को सहन करना चाहिए। इस प्रकार की सोच ने ही उन्हें शराब सेवन की आदत को बनाए रखने में उसका योगदान दिया है। (विश्व स्वास्थ्य संगठन, १९९३)

नशेनल काउंसिल ऑफ अल्कोहलिज्म का आकलन है कि ६३ प्रतिशत शराब पीन वाले परिवारों का इलाज अस्पतालों में चल रहा हैं जिनका कारण घरेलू हिंसा हैं। शराबी परिवारों के इतने ही बच्चे शारीरिक अत्याचार का शिकार हुए हैं या उन्होंने निरंतर अपने परिवारों में लगातार इस तरह की हिंसा होते देखी है। नशाखोरी के कारण घरेलू हिंसा की सबसे अधिक पीडित वर्ग प्रायः महिलाएँ ही होती हैं। भारत में सामाजिक परिस्थितीयों के कारण यह हिंसा मौत में बदल जाती है। दहेज से संबंधित अनेक मामलों में कई बार मृत्यू नशे से संबंधित हिंसा के कारण होती हैं। नशे से संबंधित घरेलू हिंसा में महिलाओं में आत्महत्या के मामलों का प्रतिशत अत्याधिक बढा हैं। परिवार की देखभाल का बोझ तथा घर में पति द्वारा मारपीट के कारण अनेक महिलाएँ आत्महत्या करके अपने दुखों से छुटकारा पाने का अच्छा समझती हैं। व्यसनकर्ता के परिवार में समाधान यह हिंसाएँ प्रायः जाती हैं तथा बच्चों के समक्ष होती हैं अनेक बार समारोहों मे जहाँ परिवार के लोग एकत्रित होते हैं जिसमें बच्चे भी शामिल होते है ऐसे समय में हत्याएँ की जाती हैं। हत्याओं का प्रतिशत लगभग २०-३० प्रशित आंका गया है जिसमें सबसे अधिक प्रभावि महिलाएँ ही होती है। ये सभी अध्ययन सिध्द करते हैं कि व्यसन या नशा हिंसा, हत्या और लैंगिक शोषण परस्पर एक दुसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं।

⁂ मौजूदा औषध कानूनों में प्रमुख कमियाँ –

एन डी.पी.एस अधिनियम में पाई गई प्रमुख कमियो को हम चार श्रेणियों में विभाजित कर सकते है जो निम्म प्रकार हेः

१) तात्कालिक कानून तस्करों के संगठिन गिरोहों की चुनौतियों का सामना करने, उन्हें दण्डित करने के लिए समुचित नहीं थे। भारत नशे के अवैध व्यापार के आवागमन की समस्या का सामना कर रहा है जिसका लक्ष्य पडोसी देशों से पश्चिमी देश होते है। खतरनाक मादक द्रव्य अधिनियम १९३० के प्रावधानों के अनुसार ऐसे अपराधों के लिए जुर्माने सहित या अलग से तीन वर्ष की सजा तथा दोबारा अपराध करने का जुर्माना सहित या अलग से ४ वर्ष की सजा का प्रावधान है। नशे के अवैध व्यापार के अपराधों से निपटने क लिए न्यूनतम दण्ड निर्धारित नहीं किया गया है तथा ऐसे तस्करों को बहुत - बार सामान्य रूप से दण्डित करके छोड दिया जाता था।

२) उस समय के केंद्रिय कानूनों में स्वापक, सीमा शुल्क, उत्पादक एवं आबकारी जैसी महत्वपूर्ण एजेंसियों के अधिकारियों को इन कानूनों के तहत इन अपराधों की रोकथाम एवं जाँच अधिकार उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

३) जब तक उपर्युक्त तीनों केंद्रीय कानूनों के लागू होने के बाद से विभिन्न अंतराष्ट्रीय संधियों और विज्ञपतियों के माध्यम से स्वापका नियंत्रण को क्षेत्र में एक व्यापक अंतराष्ट्रीय कानून संगठन बनाया गया। भारत इन सम्मेलनों, संधियो और समझोतों मे शामिल था जिनमें अनेक शर्ते थी जो इन मौजूदा कानूनों के अंतर्गत नहीं आते थे अथवा आंशिक रूप से आते थे।

४) हाल के वर्षो में मनोपरिवर्तक के रूप में व्यसन के नए मादक द्रव्यों का उदगम हुआ है जिनसे राष्ट्रीय सरकारों के बहुत बडी समस्याएँ हो गई है। १९७१ में मनोपरिवर्तक मादक द्रव्यों पर हुए समझौते, जिसमें भारत भी एक सदस्य था, के अनुसार ऐसे व्यापक कानून नहीं थे जिनके अनुसार मादक द्रव्यों पर प्रतिबंध लगाया जा सके।

उपर्युक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए स्वापक मादक द्रव्यों और मनो – परिवर्तक द्रव्यों पर व्यापक कानून बनाने की अत्यंत आवश्यकता महसूस की गई जिन्हें स्वापक मादक द्रव्यों के नियंत्रण के संबंध में तात्कालिक कानूनों को समन्वित करने, और संशोधन करना, मादक द्रव्य दुरूपयोग पर नियंत्रण को कठोरता से लागू करना, मादक द्रव्यों के अवैध व्यापार अपराधों के लिए व्यापक रूप से दण्डित करना, मनो – परिवर्तिक द्रव्यों पर प्रभावशाली नियंत्रण के लिए प्रावधान करना तथा स्वापक द्रव्यों ओर मनो – परिवर्तन मादक द्रव्यों से संबंधित अंतराष्ट्रीय समझौतों का जिसका भारत एक पक्ष है को लागू करने के लिए प्रावधान करने की आवश्यकता थी।

आज हमे एक अन्य प्रश्न पर विचार करना होगा। क्या भारत जैसा गरीब देश नशे पर इतना व्यर्थ में खर्च कर सकता है? आशा है जब आपका एक समझदार व्यक्ति की तरह इस प्रश्न का उत्तर होगा नही। भारत में नशाखोरी का सीधा संबंध गरीबी और महिलाओं के उत्पीडन से जुडा है। भारत में मनुष्य विशेषकर समाज के निम्न स्तर से संबंधित व्यक्ति सारा दिन रोटी के एक टुकडे के लिए संघर्ष करता रहता है। अधिकतर भारतीय गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करते है। भारत में निर्धन व्यक्ति को गन्दी बस्तियों में बने घरों में समुचित स्वस्थ वातावरण के अभाव के कारण अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पडता है। मादक द्रव्य लेने के बाद तो उसकी स्वास्थ्य समस्याओ में वृध्दि हो जाती है। इसके अतिरिक्त नशे में धुत व्यक्ति प्रायः अपनी स्त्री को ही मारता है इससे वह कुछ संतुष्टि भी महसूस करता है। महिलाओं को मानसिक और शारीरिक रूप से तंग किया जाता है उन पर अत्याचार किए जाते है इसलिए घरेलू हिंसा का मूल कारण व्यसन है।

भारत में गरीबी और मद्यपान के बीच गहरा संबंध है जो एक वास्तविक तथ्य है। गरीब आदमी के दुखों और कष्टों का मुख्य केन्द्र शराब है। प्रायः देखा जाता है कि भारत के गरीबों का एक बहुत बडा हिस्सा अपनी मेहनत की कमाई को शराब पीक नष्ट कर देता है। भारत का गरीब आदमी गन्दी बस्तियों में अपना जीवन बिताता है जहाँ पर उसकी मूल आवश्यकताएँ भी पूरी नहीं होती है – जैसे कि रोटी, कपडा और मकान। इस स्थिती में जब एक गरीब व्यक्ति शराब का सेवन करता है तो इस का अर्थ होता है कि वह अन्य मूल आवश्यकताओं – स्वास्थ्य और बच्चों की शिक्षा आदि के खर्च में कटौती करके शराब पीकर करता है। १९९५ में पेरिस में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पेरिस में एक सम्मेलन में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के प्रो. शेखर सक्सेना ने कहा था कि ''प्रत्येक गरीब आदमी शराब नही पीता है, परन्तु यदी वह पीता है तो वह धन भोजन और बच्चों की शिक्षा पर किए जाने वाले खर्च में कटौती करके आता है। किसी व्यक्ति द्वारा लगातार शराब का प्रयोग का अर्थ होता है – कुपोषण बच्चों का

विद्यालयों से निकाला जाना और परिवार में गरीबी का अनैतिक चक्र, हिंसा एवं रोगों का आक्रमण! प्रो. सक्सेना के बयान को भारतीय समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी के रूप में लिया जाना चाहिए! यह कथन सत्य है कि वास्तव में गरीबी से छुटकारा पाना बहुत कठीन है जब तक व्यसन से लडने के लिए सही आवाज नही उठाई जायेगी। **इसलिए गांधीजी ने कहा है कि ''छूआछूत जैसी भयंकर प्रथा के बाद शराब की भयंकरता ही सामने आती है!''**

क्या भारत में नशाखोरी पर प्रतिबंध लगाने के लिए समुचित कानूनी व्यवस्था है? अपराधियों को क्या सजा दी जाती है? समूचे भारत में नशाबन्दी क्यों नही की जाती है? किस प्रकार से कानून को लागू करनेवाले प्राधिकारी नशे के गैर – कानुनी व्यापार को रोकने का प्रयास करते है अथवा उनकी क्या भूमिका है? इस तरह के प्रश्न है जिन्हें अब आप उठा सकते है। भारत में इस तरह के प्रतिबन्धो का अधिकार राज्यों के पास है। भारतीय अपराध संहिता नशे के दुरूपयोग से निपटने के लिए समुचित कानूनी व्यवस्था है। गैर कानूनी शराब या अन्य मादक द्रव्यों का निर्माण उसका अवैध व्यापार व इस प्रकार के मादक द्रव्य आदि दण्डनीय है जिसके साथ कैद और जुर्माना दोनो साथ साथ हो सकते है। यह सब अपराध की प्रकृति और गंभीरता पर निर्भर करता है। महात्मा गांधी ने कहा है कि नशा करना अत्यन्त भयंकर है और यह गरीब आदमी का सबसे बडा प्रकृति और गंभीरता पर निर्भर करता है। **महात्मा गांधी ने कहा है कि नशा करना अत्यन्त भयंकर है और यह गरीब आदमी का सबसे बडा दुश्मन है। परन्तु यह भी हास्यास्पद है कि अधिकतर भारतीय राज्यों में नशाबन्दी नहीं है। इसके अलावा राज्य सरकारों का शराब निर्माण और उसके वितरण पर एकाअधिकार है। यह निर्णय राज्य सरकार को लेना होगा कि राज्य में तंबाखू व शराब का उत्पादन बंद हो ।**

सरकार के पास नशाबन्दी न करने के लिए कुछ भ्रामक तर्क है। एक कारण तो यह बताया जाता है कि शराब से राज्य को अत्यधिक राजस्व प्राप्त होता है। शराब पर लगे कर से और शराब बिक्री के लिए दुकानों की नीलामी से सरकार को समुचित धन प्राप्त होता है। इन सब कारणों के लिए एक प्रश्न किया जा सकता है कि नशाबन्दी लागू किए जाने पर कितना राजस्व का घाटा होता है और इस वित्तीय घाटे को किस प्रकार पूरा किया जा सकता है उस धन की कितनी राशिक होगी? आप इस तथ्य के बारे में जानते होंगे कि अभी पिछले दिनों में आन्ध्र प्रदेश में पूर्ण नशाबन्दी लागू कर दी गई थी, यह एक प्रयोग था जिसके बाद में नशाबन्दी को हटा लिया गया था। सरकार एक तर्क और भी देती है कि जिसे वह प्रायः देती रहती है। उसका कहता है कि देश में भयंकर बेरोजगारी है और इसलिए शराब का निर्माण वितरण और उसके विक्रय से बहुत सारे लोागे को रोजगार मिलता है जो अत्यंत आवश्यक है यदि शराब के कारखानों को एक दम बन्द कर दिया जाए तो उन लोगो का पुनर्वास कौन करेगा जो शराबबन्दी के कारण बेरोजगार होंगे एक सबसे बडा पाठ हम समय – समय पर सीखते रहते है कि जब खुले बाजार में शराब बेचने पर पाबन्दी लगा दी जाती है उस समय गैर – कानूनी शराब का निर्माण होने लगता है और वह कभी – कभी इतनी भयंकर हो जाती है कि उससे सैकडों लोगों की जाने चली जाती है। इस तरह की त्रासदी हर वर्ष होती रहती है। सभी कहते है और हम इसे महसूस भी करते है कि भारत में शराब और ड्रग्स पर अत्यधिक धन बर्बाद किया जाता है जिसका हिसाब नहीं है।

आज भारतीय युवक सभी तरह के भयंकर नशे के आदी हो गए है। गाँजे का धूम्रपान करना साधारण बात हो गई है तथा ब्राउन शुगर और हेरोईन यहाँ असानी से उपलब्ध हो जाती है। कोकन पहले भारत में नही मिलती थी किन्तू जब महानगरों में मिलने लगी है। इसलिए वह कौन सी सबसे अच्छी निती हो सकती है जिसका सुझाव हम भारतीय नवयुवकों को दे सकते है। हमारा सुझाव है कि सब लोग आत्मसंयम और सदाचार को पूरी तरह से अपनाएँ और आने वाले नई पीढी को यह सिखाएँ कि वह कहे ड्रग्स का प्रयोग नही करेंगे।

भारत माँ की सुनो पुकार – व्यसनमुक्ती का करो स्विकार....!

व्यसनमुक्ती प्रतिज्ञा

१) मैं नशिली चिंजोका कारोबार नहीं करुंगा।

२) मैं व्यसनमुक्त समाज निर्माण करने के लिए निरंतर प्रयास करुंगा ।

संपर्क

सद्भाव व्यसनमुक्ती केंद्र

६६, मयुर कॉलनी, पिंप्राळा, जलगाँव-४२५००१

☎ : (०२५७) २२५४३६८, २२५३८१२,२२५०२३८, २२५२७३८, मो. ९४२२२ ७९३३४, ९३७१४ ४२२५३

जे.डी.ए. बिल्डींग, शांती नगर, युको बँक के सामने, दमोह नाका, जबलपुर

☎ : (०७६१) ४०७११३७, ३२०९३९८

Email : red.swastik@yahoo.in
sadbhavparivar@yahoo.in
Website : www.sadbhavaddiction.org.

पोस्टाचा परवाना क्र. L-2 / PNR / JAL / 84 / 2012-14

प्रति,

पत्रव्यवहाराचा पत्ता

कार्यकारी संपादक : श्रीमती गीता शुक्ल

साप्ताहिक आजचे विज्ञान

द्वारा सद्भाव व्यसनमुक्ती केंद्र

६६, मयुर कॉलनी, पिंप्राळा,जळगांव

☎ : (०२५७) २२५४८६८, २२५३८१२

red.swastik@yahoo.in
sadbhavparivar@yahoo.in
Website : www.sadbhavdeadaddiction.org

हे पत्र मालक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक अशोक शुक्ल यांनी शरद क्रिएशन्स्, सी-२९. दुसरा मजला गोलाणी मार्केट, जळगांव येथे मुद्रीत करुन विज्ञान भवन, प्लॉट नं.११, बँक कॉलनी, हिंदुस्थान सिल्क मागे, पिंप्राळा, जळगांव येथे प्रकाशित केले (या अंकातील मतांशी, मालक, मुद्रक, प्रकाशक संपादक सहमत असतील असे नाही.)

भारत माँ की सुनो पुकार - व्यसनमुक्ती का करो स्विकार....!